न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./13/2021/बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. गुलाबा पुत्र काछबा का.मु. जोगाराम वगै. बनाम 1.पुनमा वल्द काछवा वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री विष्णु चौधरी चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 05 से 07 की ओर से।
3. वकील श्री राजेन्द्र शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से।
4. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट संख्या 08 की ओर से।
5. वकील श्री भूरचंद जांगीड़ रेस्पोडेंटस संख्या 1/1/1, 1/1/3 से 1/2/1, 1/2/3 से 2/3, 3

निर्णय

दिनांकः–12.06.2023

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान अपीलकर्ता को इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। अर्सा 10 दिन पूर्व उतरदातागण ने अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त में दखलदांजी करते हुए अपीलकर्तागण के हिस्से की भूमि को बेचान करने की व अपीलकर्तागण को बेदखल करने की धमकियां दी गई तथा अपीलकर्तागण को बताया गया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलकर्तागण का नाम दर्ज नहीं है तथा अपीलकर्तागण को उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है तथा उतरदातागण ने उक्त भूमि का बेचान भी कर दिया गया है तब अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलकर्ता को दिनांक 12.02.2021 को नकले मिलने से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की फरमाई जावे।

अधिवक्तागण रेस्पोडेंटस ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए वहस में वताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.1971 के विरूद्ध दिनांक 23.01.2021 को यानि तकरीबन 50 वर्ष के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 15.09. 1971 को हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.1971 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अपीलांटस गुलाबा स्वयं वादी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के इकबालिया जबावदावा के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 50 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रदीपकुमार पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर